

राजस्थान का राज्य शिक्षा राजस्थान जयपुर

दिनांक एफ 76 असाई. अनु / 2013 101

दिनांक - 02/07/2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित सहाय/विषयों सहित सत्र 2013-14 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों में सहाय प्रदान किया जाता है :-

संस्था का नाम एवं पता	सहाय विद्यालय का नाम एवं पता	सहाय विद्यालय	आवंटित विषय / शाखाएं
जयपुर मैमोरियल शिक्षण संस्थान जाल न 18 नजदीक बस स्टेशन साहवा तारानगर जिला गुज.	जाल न 18, नजदीक बस स्टेशन, साहवा तारानगर जिला गुज.	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कला सहाय में अनेवार्य विषयों को प्रतिरिक्त- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र विकसित।

- संस्था प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
  - संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त करेगी तथा विश्वविद्यालय के परकरण में भी 0सी0आई0 से सहायता व विश्वविद्यालय से सहायता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
  - सहाय/विषयवार भीटों का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय सहायता में ही प्रवेश दिया जायेगा।
  - संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति तक तीन सत्रों में मापदण्डानुसार सहाय की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मापदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
  - संबंधित संस्था द्वारा भूमि सहायता अथवा अथवा अथवा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
  - महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सहाय स्थानीय सहाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
  - संस्था द्वारा पूर्णतः योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य असीक्षणीय स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
  - संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
  - आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सहाय/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अगिलेख उपलब्ध करायेगा।
  - संस्था द्वारा छात्रों का जमा के कम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
  - संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेगी।
  - मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस लिंक की वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
  - संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सीसी/सेजिंग एवं रेजिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहसहायिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना सनव्ययक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 31 जुलाई 2013 तक करवायेगी।
  - राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- उपर्युक्त शर्तों को पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।